

वादीगण-

1. ओमप्रकाश
2. जुगलकिशोर
3. केदारमल पुत्रगण हरिकिशन जाति बाहमण निवासीगण कठीती तह. जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. कमला देवी
2. रतनी देवी
3. सुमित्रा पुत्रियां हरिकिशन निवासीगण कठीती जातियान बाहमण।
4. नानुराम पुत्र मांगीलाल
5. गोरधन पुत्र मांगीलाल
6. केशर देवी पत्नी मांगीलाल
7. सरोज पत्नी रामकुंवार
8. अनपूर्णा पुत्री रामकुंवार
9. भावना पुत्री रामकुंवार
10. भुमिका पुत्री रामकुंवार जातियान बाहमण निवासीगण नोखा जोधा तहसील जायल, नागौर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय दिनांक :-17.05.2018


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हंक वंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 383 रकबा 08.04 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 जुगलकिशोर के हंक वंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 375 रकबा 05.01 बीघा पूरा व ख नं 402 रकबा 04 बीघा 02 विश्वा पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 केदारमल के हंक वंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 1 रकबा 15.16 बीघा में से 07.18 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के सामलाती हंक वंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 1 रकबा 15.16 बीघा में से 07.18 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबतिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.05.2018 को जारी किया गया


बन्धु सखस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)


(सुपन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर